कार्यालय, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी०टी०नगर, भोपाल

कमांक / प्रशासन / भंडार / आविभो / 750 / 2024 भोपाल, दिनांक 01 / 07 / 2024

Tender Document
Technical-Cum-Commercial Bid

1. आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टी.टी. नगर भोपाल में उपलब्ध 05 गार्डनों लगभग 2000 से 4500 स्कवायर फीट, बॉटनीकल गार्डन, लगभग 725 गमलों, 2250 स्कवायर मीटर में फैली क्यारियों, प्लेग्राउंड, 450 पौधों एवं अन्य परिसर में फैली बागवानी के मेंटनेंस हेतु आवश्यक काली मिट्टी, खाद, जैविक खाद, पौधें, कीटनाशक दवाईयां इत्यादि बागवानी सामग्री क्रय हेतु संलग्न सूची में उल्लेखित बागवानी सामग्री वार्षिक दरें स्वीकृति हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

2. आदर्श विद्यालय भोपाल में बागवानी सामग्री सप्लायी कार्य सेवाऐं संतोषजनक पायी जाती है। तो समान शर्तों और सेवा शुल्क पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति अथवा नवीन रूप से दरें स्वीकृत होने अधिकतम रूप से बागवानी सामग्री सप्लायी सेवाऐं आगामी 03 माह की अवधि हेतु बढायी जा सकती है।

3. यह आमंत्रण ऐसे बागवानी सामग्री विक्रेताओं और व्यक्तियों के लिए खुला है, जिनके पास बागवानी सामग्री सप्लायी के क्षेत्र में निम्नतम 02 वर्ष का अनुभव एवं विद्यालय में आवश्यकतानुसार 18 से 20 ट्राली मिट्टी, खाद एवं अन्य बागवानी सामग्री की 07 दिवस के भीतर सप्लायी करने की क्षमता हो। एवं वर्तमान में म.प्र. के किसी उपक्रम, संस्थान एवं व्यवसायिक संस्था को अनुबंध पर सेवाऐं प्रदान कर रहा है।

4. कोटेशनों में उल्लेखित दर बागवानी सामग्री सप्लायी फर्मों के चयन के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है। ऐसी फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं जिनके पास 02 वर्ष का अनुभव नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं उनकी निविदाऐं अस्वीकार कर दी जावेगी।

5. बागवानी संबंधी संलग्न सूची में उल्लेखित सामग्री उच्च क्वालिटी में सप्लायी अनुसार ही निविदा में दरें अंकित करना होगी।

6. बागवानी सामग्री सप्लायी फर्मों को निर्धारित टेन्डर फार्म दिनांक 02 / 07 / 2024 से 22 / 07 / 2024 तक कार्यालयीन समय अपरान्ह 12:00 से 03:00. बजे तक विद्यालय वेबसाईट में उल्लेखित शुल्क राशि पर प्राप्त करना होगा। एवं बागवानी सामग्री वार्षिक दरें स्वीकृति हेतु दरें प्रदान करना होगी।

6. बागवानी सामग्री सप्लायी फर्मों से प्राप्त निविदाऐं दिनांक 22 / 07 / 2024 को अपरान्ह 04:30 बजे सार्वजनिक रूप से विद्यालय कक्ष में प्राचार्य महोदया, समिति सदस्यों एवं बागवानी सामग्री विक्रेताओं फर्म / प्रतिनिधियों / प्रोपराईटर्स की उपस्थिति में खोली जावेगी।

7. बागवानी सामग्री सप्लायी हेतु संबंधित फर्मों को चाहे गए निविदा फार्म, सह 50,000 / – अर्नेस्ट मनी धनादेश / बैंक ओवर ड्राप्ट / नगद के रूप में जमा करना होगी। दरें मान्य न होने की स्थिति में जमा अर्नेस्ट मनी 15 दिवस के भीतर संबंधित बागवानी सामग्री विक्रेता फर्मों को लौटा दी जावेगी।

8. बागवानी सामग्री सप्लायी सेवाऐं अवधि दिनांक 01/08/2024 से 31/07/2025 के लिए मान्य होगी। एवं सेवाऐं संतोषप्रद पाए जाने व आपसी सहमति पर आगामी 03 माह तक कार्य सेवाओं में वृद्धि की जा सकेगी।

9. जिस बागवानी सामग्री विक्रेता/फर्म की दरें मान्य होती है। उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी राशि रू. 50,000/- सुरक्षा निधि के रूप में सेवा अवधि तक विद्यालय में जमा रहेगी। स्वीकृत सेवा अवधि के मध्य में सेवाऐं संबंधित फर्मों की और से प्रभावित करने पर जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात् कर ली जावेगी।

10. बागवानी सामग्री सप्लायी फर्मों को भुगतान स्वीकृत मान्य दरों पर बागवानी सामग्री प्राप्ति एवं समिति की पुष्टि के आधार पर नियमानुसार समयसीमा में की जावेगी।

11. बागवानी सामग्री सप्लायी आदेशित कंपनी में न होने, दायित्वों का समयसीमा में निर्वहन न किए जाने पर बागवानी सामग्री सप्लायी सेवाऐं समाप्ति का प्राचार्य को विशेषाधिकार होगा।

उपप्राचार्य
आदर्श उ. मा. विद्यालय
टी. टी. नगर भोपाल

प्राचार्य
आदर्श उ. मा. विद्यालय
टी. टी. नगर भोपाल